कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/861/2019/10–11/1516 भोपाल, दिनांक 14-5-19

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.798 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत्।**

—0—

महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई–2 छिन्दवाड़ा द्वारा छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत वन मण्डल, पश्चिम छिन्दवाड़ा के परिक्षेत्र दमुआ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन विभाग के अधीन वनक्षेत्र में निम्नानुसार वनभूमि चाही गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि–

अ. क्र.	जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र (हे0में)
1	छिन्दवाड़ा	पश्चिम छिन्दवाड़ा	दमुआ	रामपुर	PF-409	3.798
					कुल आवेदित वन क्षेत्र	**3.798**

2. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रभावित होने वाले क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां नहीं पायी जाती है।

3. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

4. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव अनुसार प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र में 778 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

Scanned by CamScanner

5. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित वनभूमि के प्रभावित होने वाले क्षेत्र में खड़े वृक्षों का गोलाई वर्गवार गोशवारा निम्नानुसार है:–

वन मण्डल	प्रजाति	0–30	31–60	61–90	91–120	121 से 150	151से अधिक	कुल
पश्चिम छिन्दवाड़ा	सागौन	11	15	7	7	8	5	53
	अन्य	178	304	135	44	31	33	725
	योग	189	319	142	51	39	38	778

6. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र में इको क्लास III श्रेणी का सागौन/मिश्रित वन है, जिसका वन घनत्व 0.7 तक है।

7. प्रकरण में 3.798 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। आवेदक संस्थान द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की तहसील जुन्नारदेव के ग्राम बाथरी के खसरा क्रमांक 209/1 में से 7.578 हेक्टेयर गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि पर 07 वर्षीय क्षतिपूरक वनीकरण योजना (वर्ष 2018–19 से 2024–25 तक) बनाई गई है, जो कि प्रस्ताव में संलग्न प्रेषित है। वनीकरण योजना में प्रत्येक वर्ष में मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। गैर वन भूमि पर तैयार क्षतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार वृक्षारोपण में निम्नानुसार व्यय आने की संभावना है:–

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	राशि (रू.में)
1	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	बाथरी	209/1	7.578 (गैर वन भूमि)	64,25,000/–
					योग	64,25,000/–

8. उपरोक्त गैर वन भूमि पर तैयार क्षतिपूरक वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा अपने तकनीकी आदेश क्रमांक/32 दिनांक 14.02.2019 द्वारा जारी की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु चयन की गई, प्रस्तावित गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, इस हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न प्रेषित है।

9. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन प्रतिवेदित नहीं है।

10. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान आदि का क्षेत्र नहीं है। साथ ही प्रस्तावित वनक्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में कोई वन्यप्राणी अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/हाथी कॉरीडोर आदि का क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र निकटतम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 10 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है एवं पेंच टाइगर रिवर्ज से 80 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

11. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलबाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण के प्रकरण में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर नहीं है।

Scanned by CamScanner

12. उपरोक्त प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

13. आवेदक संस्थान द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी अधिनियम, 2006 नियम 2008 के तहत संबंधित कलेक्टर, छिन्दवाड़ा का प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया गया है।

14. विषयांकित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 03.01.2019 भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित 24 कॉलाम के प्रपत्र में संलग्न प्रेषित है।

15. विषयांकित प्रस्ताव को बेवसाईट पर ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली वन भूमि एवं प्रकरण में गैर वन भूमि पर तैयार क्षतिपूरक वनीकरण योजना हेतु प्रस्तावित भूमि की KML file, Geo reference map एवं सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट संलग्न है।

16. उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा एवं मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा अनुशंसा की गई है। इसके पश्चात कार्यालयीन अनुशंसा के उपरांत राज्य शासन वन विभाग द्वारा भी प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः अनुरोध है कि 3.798 हेक्टेयर वन भूमि की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–एक प्रति में प्रस्ताव।

भवदीय

14/5/19

(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 14-5-19

पृ. क्रमांक/एफ–5/861/2019/10–11/1517

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई–2, सरन सदन बुधवारी बाजार, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14/5/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned by CamScanner